Part IV: Directive Principles of State Policy

Part IV of the Constitution of India deals with Directive Principles of State Policy. It contains provisions laying down the guidelines and principles for the governance of the country, which are not enforceable by the courts, but are nonetheless considered fundamental in the governance of the country.

The Directive Principles of State Policy are as follows:

1. Promotion of justice and protection of the law (Article 36-51)
2. Promotion of economic and social welfare (Article 39-47)
3. Protection of the weaker sections of society (Article 46)
4. Promotion of international peace and security (Article 51)

The Directive Principles serve as moral and ethical guidelines for the government in its policy-making and decision-making process, and provide a framework for the establishment of a just and welfare-oriented society.

However, these principles are not justiciable, meaning that they cannot be enforced by the courts. Nonetheless, they play an important role in shaping public opinion and in influencing the government's policies and actions.

Overall, Part IV of the Constitution of India provides the vision and goals for the governance of the country, and sets out the principles and values that should guide the government in its policy-making and decision-making process.

भाग IV: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

भारत के संविधान का भाग IV राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें देश के शासन के लिए दिशानिर्देश और सिद्धांत निर्धारित करने वाले प्रावधान शामिल हैं, जो अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी देश के शासन में मौलिक माने जाते हैं।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

न्याय को बढ़ावा देना और कानून की सुरक्षा (अनुच्छेद 36-51)
आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 39-47)
समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण (अनुच्छेद 46)
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 51)

नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में नीति-निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए नैतिक और नैतिक दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं, और एक न्यायपूर्ण और कल्याण-उन्मुख समाज की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

हालाँकि, ये सिद्धांत न्यायसंगत नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, वे जनता की राय को आकार देने और सरकार की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग IV देश के शासन के लिए दृष्टि और लक्ष्य प्रदान करता है, और उन सिद्धांतों और मूल्यों को निर्धारित करता है जो सरकार को नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं।

Part IVA: Fundamental Duties

Part IVA of the Constitution of India deals with Fundamental Duties. It was added by the 42nd Amendment Act in 1976 and contains provisions laying down the duties of citizens towards the country and its institutions.

The Fundamental Duties of citizens are as follows:

1. To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions
2. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom
3. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India
4. To defend the country and render national service when called upon to do so
5. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India
6. To preserve the rich heritage of our composite culture
7. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures
8. To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform
9. To safeguard public property and to abjure violence
10. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity.

The Fundamental Duties serve as a reminder to citizens of their obligations and responsibilities towards the country and its institutions, and aim to promote national unity, integrity and patriotism.

Overall, Part IVA of the Constitution of India lays down the duties of citizens towards the country and its institutions, and seeks to foster a sense of responsibility and commitment among citizens towards the nation.

भाग IVA: मौलिक कर्तव्य

भारत के संविधान का भाग IVA मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसे 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इसमें देश और इसकी संस्थाओं के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करने वाले प्रावधान शामिल हैं।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं:

संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना
देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना
भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना
हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए
वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना
वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना का विकास करना
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना।

मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश और इसकी संस्थाओं के प्रति उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति को बढ़ावा देना है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग IVA देश और इसकी संस्थाओं के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, और राष्ट्र के प्रति नागरिकों के बीच जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देता है।